न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री विनोदकुमार मल्हौत्रा, R.A.S.

राजस्व विविध संख्या 47/2017
दायर तिथि 24.08.2017
निर्णय तिथि 22.03.2018

प्रार्थी	–बनाम–	अप्रार्थी
पूनमसिंह पुत्र तखतसिंहजी,		राजस्थान राज्य जरिये
जाति राजपुरोहित, निवासी पराखिंया,		भूमिधारी तहसीलदार
तहसील सुमेरपुर, जिला पाली		सुमेरपुर, जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट 1955

–: आदेश :–

निर्णय तिथि : 22.03.2018

यह पत्रावली न्यायालय हाजा में बरोज आज पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता व तहसीलदार सुमेरपुर उपस्थित पक्षकारान् द्वारा राजस्व भूमि मौजा पराखिंया के खसरा नम्बर 150 रकबा 0.52 हैक्टर सिवाय चक में से ग्राम पराखिंया की डी. एल.सी. दर से दो गुणा राशि पर नया मार्ग खोला जाता हैं, जो मार्ग चौडाई में 4 मीटर होगा से सहमत हैं।

हमने पक्षकारान् व अधिवक्ता की दलील को सुना। साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत मामले में प्रार्थी द्वारा स्वयं एवम् अन्य दीगर खातेदारों हेतु शामलाती खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा पराखिंया में स्थित खसरा नम्बर 167/771, 168/773 रकबा क्रमशः 0.53, 0.35 हैक्टर किस्म जाव दोयम, चाही दोयम में आने जाने हेतु अप्रार्थी की राजकीय कृषि भूमि खसरा नम्बर 150 में से रास्ता दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा हैं। पटवारी नेतरा व भू–अभिलेख निरीक्षक बांकली ने प्रस्तावित रास्ता भूमि के बारे में रेकर्ड व मौके की स्थिति बाबत् जांच रिपोर्ट पेश की जिसे रेकर्ड पर लिया गया व इस जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की शामलाती खातेदारी भूमि पर प्रस्तावित रास्ता भूमि के अलावा अन्य कोई दुसरा रास्ता उपलब्ध नहीं होना व प्रार्थी व अन्य को प्रस्तावित रास्ता भूमि अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 150 में

–––2पर

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

से रकबा 0.0472 हैक्टर भूमि रास्ते हेतु उपलब्ध कराने की अनुशंषा की हैं। इस प्रकार कथित जांच रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ईबारत अनुसार प्रार्थी के कथित प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती हैं। फलतः हमारे विधिक मतानुसार एवम् राजस्व लोक अदालत की भावना के तहत प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट 1955 को स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनाओं के परिणाम स्वरूप राजस्व लोक अदालत की भावना के तहत प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट 1955 विरूद्ध अप्रार्थी के स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा स्वयं एवम् अन्य दीगर खातेदारों हेतु शामलाती खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा पराखिंया में स्थित खसरा नम्बर 167/771, 168/773 में कृषि कार्य प्रयोजन हेतु आने जाने के लिए सुखाधिकार के तहत पटवारी नेतरा व भू– अभिलेख निरीक्षक बांकली की जांच रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 150 में से 0.0472 हैक्टर भूमि क्षैत्रफल का रास्ता जो संलग्न नजरी नक्शा में बरंगलाल में दर्शित हैं को इस सशर्त पर सार्वजनिक गैर मुमकीन रास्ता घोषित किया जाता हैं कि इस घोषित गै.मु. राास्ता भूमि के क्षैत्रफल का वर्तमान डी.एल.सी. की दर से मुल्यांकन कर दो गुणा देय राशि प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय सुमेरपुर में बतौर अमानत के राजकोष में जमा करवायी जावें तद्परान्त तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी नेतरा उक्त आदेश मुजब राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करें। संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न भाग माना जाकर निर्णय आज दिनांक 22.03.2018 को न्यायालय हाजा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner